



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 2019/माघ 12, 1940

No. 42]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019/MAGHA 12, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

सं. 71/2015-20

विषय: ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं/अनुमत पूंजीगत माल की सूची।

फा.सं. 18/87/एएम-19/पी-5.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय की सार्वजनिक सूचना सं० 47/2015-20 दिनांक 06.12.2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 5 च (ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट शर्तों के अधीन आयात हेतु अनुमत नहीं/अनुमत पूंजीगत माल की सूची) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

क्रम सं० 14 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:—

15	ग्री-फैब्रिकेटेड पालीयूरेथेन फोम (पीयूएफ) पैनल/दरवाजे	ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाले ताजे फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा स्थापित (i) प्रशीतित कक्षों और (ii) कोल्ड स्टोरेजों में उपयोग हेतु अनुमत
----	---	--

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** ताजे फलों और सब्जियों के भंडारण हेतु प्रशीतित कक्षों/कोल्ड स्टोरेजों हेतु पीयूएफ पैनलों/दरवाजों का आयात ईपीसीजी स्कीम के तहत अनुमत है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 31st January, 2019

**No. 71 /2015-20****Subject: List of capital goods not permitted/permitted for import under the EPCG Scheme-reg.**

**F.No.18/87/AM-19/P-5.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Appendix 5F (List of Capital Goods not permitted/permitted for import subject to specific conditions under the EPCG Scheme) of the FTP 2015-20, notified vide DGFT's Public Notice No. 47/2015-20 dated 06.12. 2017:

After Sr. No.14, the following is added:

15.	Pre-fabricated Polyurethane Foam (PUF) panels/doors	Permitted for use in (i) Chilled Rooms and (ii) Cold Storages set up by the Units for storage of fresh fruits and vegetables, meant for exports under the EPCG Scheme.
-----	---	--

**Effect of this Public Notice:** Imports of PUF panels/doors for chilled rooms/cold storages for storage of fresh fruits and vegetables are allowed under the EPCG Scheme.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI,  
Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.